

महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना (म.प्र.)

ग्रामोदय सामुदायिक महाविद्यालय

DCA एवं CPCT प्रशिक्षण संचालन हेतु अभिरुचि आमंत्रण पत्रक

1. योजना के बारे में—

मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद (मैपसेट) के वित्तीय सहयोग से एकवर्षीय डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (डी.सी.ए.) तथा सी.पी.सी.टी. प्रशिक्षण मध्यप्रदेश के जनजातीय वर्ग के 12वीं उत्तीर्ण छात्रावासी एवं महाविद्यालयीन छात्र/छात्राओं हेतु डिजिटल साक्षरता एवं रोजगार अवसर के उद्देश्य से प्रत्येक जिले हेतु 120 प्रशिक्षणार्थियों (30-30 प्रशिक्षणार्थियों के चार बैच) के लक्ष्य हेतु छात्रावासों में या अनुपलब्धता की स्थिति में छात्रावास से 500 मीटर की परिधि में केन्द्र स्थापित कर संचालित होगा। उक्त प्रशिक्षण महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना (म.प्र.) के माध्यम से संचालित होगा। प्रशिक्षण मैपसेट के पोर्टल के द्वारा संचालित होगा।

2. भागीदारी—

1. मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद (मैपसेट)—

प्रबंध संचालक, म.प्र. रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद

राजीव गाँधी भवन, 35, श्यामला हिल्स

भोपाल— 462002 मध्यप्रदेश

2. महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना (म.प्र.)

कुलसचिव, म.गाँ.चि.ग्रा.वि.वि., चित्रकूट, सतना (म.प्र.)

3. उद्देश्य—

जनजातीय युवाओं में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए विभिन्न तकनीकी व्यवसायों में कौशल विकास कार्यक्रम लागू करना ही प्रशिक्षण का उद्देश्य है।

4. प्रशिक्षणदाता संस्था एवं उनकी चयन प्रक्रिया—

मध्यप्रदेश में इस परियोजना के संचालन का दायित्व म.गाँ.चि.ग्रा.वि.वि., चित्रकूट को प्रदान किया गया है। जिसके क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक “प्रशिक्षण प्रदाता संस्था” का चयन किया जाना है। इस हेतु यह अभिरुचि आमंत्रण प्रपत्र जारी किया जा रहा है।

प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं के चयन के लिए नियम एवं शर्तें निम्नानुसार होंगी:—

1. प्रशिक्षण प्रारंभ होने के पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र का प्री-इंस्पेक्शन मैपसेट द्वारा कराया जायेगा। अनुमोदन उपरांत प्रशिक्षणार्थियों का पंजीयन पोर्टल पर कराया जायेगा। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थियों के मूल दस्तावेज से सत्यापन कराकर ज्वाइनिंग का कार्य मैपसेट के प्रतिनिधि द्वारा किया जायेगा।

2. कम्प्यूटर कोर्स में रुचि रखने वाले प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया जाय। इस हेतु समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन अनिवार्य रूप से किया जाय एवं अन्य उचित साधनों से भी प्रचार कर उचित मोबिलाइजेशन किया जाय।

3. सम्पूर्ण प्रशिक्षण अनुबंध अनुसार निर्धारित अवधि (एक वर्ष के अन्दर) में पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

4. प्रशिक्षण केन्द्रों पर योग्य प्रशिक्षकों (न्यूनतम अर्हताधारी— बी.एस—सी. (आई.टी./सी.एस.), बी.सी.ए., बी.टेक. (आई.टी.)ए बी.ई. (आई.टी./सी.एस.)) की व्यवस्था प्रशिक्षण प्रदाता संस्था द्वारा प्रशिक्षणार्थियों की संख्या के अनुपात में विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की शर्तों के अधीन निर्धारित की जायेगी।

5. संसाधन केन्द्र प्रशिक्षण प्रदाता संस्था प्रस्तावित जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रावासों में प्रशिक्षण हेतु आवश्यक व्यवस्था करनी होगी। छात्रावास में समुचित व्यवस्था न होने की स्थिति में प्रशिक्षण केन्द्र की दूरी किसी भी दशा में 500 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

6. चयनित संस्था को प्रत्येक जिले में 120 छात्र/छात्राओं (30-30 के चार बैच) हेतु आवश्यक हवादार कमरे की व्यवस्था करनी होगी।

7. छात्र/छात्राओं के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक फर्नीचर (कुर्सी, मेज आदि) की व्यवस्था चयनित संस्था द्वारा की जायेगी।
8. प्रशिक्षण में प्रशिक्षु छात्र/छात्राओं हेतु शुद्ध पेयजल/वाशरूम आदि की व्यवस्था की जिम्मेदारी चयनित संस्था की होगी।
9. प्रशिक्षु छात्रों/छात्राओं की प्रत्येक दिवस की उपस्थिति मेपसेट के ऑनलाइन/बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन/मोबाइल ओ.टी.पी. के आधार पर लेकर प्रतिदिन निर्धारित पोर्टल पर भेजने की जिम्मेदारी चयनित संस्था की होगी।
10. किसी भी अपरिहार्य स्थिति में प्रशिक्षक के अनुपस्थिति होने की स्थिति में चयनित संस्था द्वारा अनिवार्यतः वैकल्पिक प्रशिक्षक की व्यवस्था की जायेगी।
11. प्रशिक्षु छात्र/छात्राओं के प्रायोगिक कार्यों हेतु प्रत्येक केन्द्र में न्यूनतम 15 नग कम्प्यूटर (8GB RAM+256 GB SSD)/राउटर/इंटरनेट आदि अन्य ऑनलाइन व्यवस्था सम्बन्धी उपकरण चयनित संस्था द्वारा अनिवार्यतः स्थापित की जाएगी।
12. प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण /प्रायोगिक कार्यों के सुचारु संचालन हेतु जनरेटर/इन्वर्टर की व्यवस्था की जिम्मेदारी चयनित संस्था की होगी।
13. चयनित संस्था द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र पर योजना का बैनर व केन्द्र के नोटिस बोर्ड पर कोर्स हेतु बैच अनुसार प्रशिक्षार्थियों की सूची व प्रशिक्षण का समय आदि की जानकारी संस्था द्वारा की जाएगी।
14. प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान मेपसेट/विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले आकस्मिक निरीक्षण के समय छात्रों की उपस्थिति पंजी, स्टाफ उपस्थिति पंजी, प्रशिक्षक से प्राप्त फीडबैक आदि की जानकारी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी चयनित संस्था की होगी। आकस्मिक निरीक्षण के समय अधोसंरचना में कमी, योग्य ट्रेनर की कमी, प्रशिक्षण टूल्स व इक्यूपमेंट न पाये जाने पर चयनित संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी।
15. प्रशिक्षण हेतु चयनित प्रशिक्षकों की न्यूनतम योग्यता कम्प्यूटर विज्ञान/आई.टी. से स्नातक निर्धारित है। निर्धारित प्रारूप में संस्था का पंजीयन/आब्जेक्ट/प्रशिक्षकों का पूर्ण बायो डाटा- नाम, मोबाइल नंबर, पूर्ण पता, ई-मेल, फोटोग्राफ, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि का विवरण संलग्न करना अनिवार्य है।
16. ट्रेनिंग फीस के भुगतान पर आयकर के नियमानुसार कटौती की जायेगी।
17. चयनित संस्था द्वारा अनुबन्ध तोड़ने या अनुबन्ध की शर्तों का पालन न करने/असत्य जानकारी प्रेषित करने की स्थिति में चयनित संस्था को भुगतान नहीं किया जायेगा व नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी चयनित संस्था की होगी।
18. चयनित संस्था आवश्यक समन्वय हेतु एक व्यक्ति का चयन करेगी। जो विश्वविद्यालय/मेपसेट से समय-समय पर समन्वय स्थापित कर आवश्यक निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेगा।
19. आवेदक संस्था द्वारा अपने आवेदन के साथ आवेदन शुल्क रु. 1000.00 (एक हजार रुपए) सुरक्षा राशि के रूप में एवं रु. 10,000/- (दस हजार रुपए मात्र) का बैंक ड्राफ्ट कुलसचिव, महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना (म.प्र.) के पक्ष में देय होगा। सुरक्षा राशि के अभाव में या किसी अन्य अपूर्ण/असत्य जानकारी की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
20. उपरोक्त के अतिरिक्त प्रशिक्षण के संबंध में समय-समय पर मेपसेट/विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन चयनित संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
21. चयनित संस्थाओं द्वारा छात्रों की उपस्थिति, प्रशिक्षक की उपस्थिति आख्या के अनुसार प्रतिदिन ली गयी बायोमेट्रिक अटेंडेंस की प्रमाणित हार्ड कापी व इनवाइस के आधार पर मेपसेट द्वारा भुगतान किया जायेगा।

5. आवश्यक आवश्यकता—

(अ) सामग्री— प्रशिक्षण केन्द्रों पर निम्नानुसार अधोसंरचना की आवश्यकता होगी:—

- 30 छात्रों के बैठने हेतु एक कक्ष सर्वसुविधा युक्त।

- स्मार्ट बोर्ड/प्रोजेक्टर की व्यवस्था।
- फर्नीचर-15 नग कम्प्यूटर टेबल एवं 30 नग कुर्सियाँ
- एक नग आलमारी
- 15 नग कम्प्यूटर विंडो-10 (8 जी.बी. रैम एवं 256 जी.बी. एस.एस.डी.)
- एक प्रिन्टर व स्कैनर
- नेटवर्किंग/इंटरनेट- इंटरनेट ब्राउजिंग साफ्टवेयर इंस्टालेशन के लिए वाई-फाई या लैन
- सी.सी.टी.वी. कैमरा/बिजली के लिए यू.पी.एस. का प्रबन्ध
- कम्प्यूटर को कनेक्ट करने के लिए राउटर व नेटवर्क स्विच
- एन्टीवायरस
- सुरक्षा
- जल व्यवस्था, शौचालय आदि
- अग्निशमन

(ब) मानव संसाधन- प्रशिक्षण केन्द्रों पर योग्य प्रशिक्षकों (न्यूनतम अर्हताधारी- बी.एस-सी. (आई. टी./सी.एस.), बी.सी.ए., बी.टेक. (आई.टी.)ए बी.ई. (आई.टी./सी.एस.)) प्रशिक्षण प्रदाता संस्था द्वारा प्रशिक्षणार्थियों की संख्या के आधार पर विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की शर्तों के अधीन निर्धारित की जावेगी।

6. परियोजना का कियान्वयन-

1. पंजीयन एवं प्रवेश-

अनुसूचित जनजाति वर्ग के कक्षा- 12वीं उत्तीर्ण छात्रावासी/महाविद्यालयीन प्रशिक्षु छात्र/छात्राओं के प्रवेश आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप के साथ आधार कार्ड, अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र का प्रमाण पत्र/वांछित शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची व पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ प्राप्त किये जायें। मोबलाइजेशन एवं प्रशिक्षणार्थियों के चयन हेतु संबंधित सहायक आयुक्त/जिला संयोजक अनुसूचित जनजातिय कार्य से समन्वय कर सूची को अन्तिम रूप दें। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थियों के मूल दस्तावेज से सत्यापन कराकर ज्वाइनिंग का कार्य मैपसेट के प्रतिनिधि द्वारा कराया जायेगा। पंजीयन की प्रक्रिया विश्वविद्यालय, हार्ड कॉपी के आधार पर विश्वविद्यालय नियमानुसार सम्पादित करेगा।

2. उपस्थिति-

प्रशिक्षणार्थियों के प्रतिदिवस की आधारबेस उपस्थिति मैपसेट के पोर्टल पर प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रशिक्षकों द्वारा अपलोड की जायेगी।

3. अध्ययन सामग्री-

विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन सामग्री प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं के जिला केन्द्रों पर पहुंचाई जायेगी जिसके वितरण की व्यवस्था प्रशिक्षण प्रदाता संस्था द्वारा स्टॉक पंजी द्वारा प्रशिक्षणार्थियों की संख्या के आधार पर प्रदान की जायेगी।

4. परीक्षा-

प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों का प्रत्येक विषय का इंटरनल एसेसमेंट होगा जो प्रशिक्षक द्वारा विश्वविद्यालय परीक्षा नियमों के तहत लिया जायेगा एवं अंकपत्र विश्वविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगे। प्रायोगिक परीक्षाओं का संचालन विश्वविद्यालय नियमानुसार नियुक्त वीक्षक द्वारा कराया जायेगा। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा विश्वविद्यालय वार्षिक परीक्षा पद्धति के अनुसार आयोजित कराई जायेगी। प्रशिक्षण के दौरान इंटरनल एसेसमेंट एवं अन्तिम परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट/मैपसेट के पोर्टल पर अपलोड किये जायेंगे।

5. निरीक्षण-

परिषद द्वारा प्रशिक्षण केन्द्रों का प्री-इंस्पेक्शन कराया जायेगा। समय-समय पर मैपसेट/विभागीय अधिकारियों/विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों द्वारा किया जायेगा।

7. वित्तीय जवाबदारी-

प्रशिक्षण केन्द्रों को प्रशिक्षणवृत्ति का भुगतान पोर्टल पर प्रतिमाह की बायोमैट्रिक उपस्थिति के आधार पर जारी देयक (जानकारी के साथ हार्ड कापी में उपस्थिति के साथ) प्रस्तुत करने पर मेपसेट द्वारा नियमानुसार देय होगा। प्रशिक्षण फीस के भुगतान पर आयकर के नियमानुसार टी.डी.एस. की कटौती की जायेगी। प्रतिमाह के बिल के आधार पर प्रशिक्षण प्रदाता संस्थानों को मेपसेट द्वारा प्रशिक्षण भुगतान अधिकतम रु. 6000/- प्रति प्रशिक्षणार्थीनुसार ही देय है।

8. अभिरुचि व मूल्यांकन—

समस्त संस्थाओं से मांगे गए दस्तावेज की जांच विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा की जायेगी, जिसके लिए संस्थायें निम्नानुसार दस्तावेज संलग्न करें:—

(क) लिफाफा—(अ)

1. फार्म का मूल्य रु. 1000/- का ड्राफ्ट
2. सुरक्षा राशि मूल्य रु. 10,000/- का ड्राफ्ट

(ख) लिफाफा—(ब)

1. संस्थाओं का पंजीयन प्रमाण पत्र
2. आयकर चुकता प्रमाण पत्र (विगत तीन वर्षों का)
3. PAN Number
4. आधार नंबर
5. बैलेंस सीट
6. फर्म/सोसायटी के भागीदारों का विवरण
7. विगत तीन वर्षों में समान प्रकृति के प्रशिक्षण कार्यों का विवरण
8. पूर्ण रूप से भरा हुआ संलग्न EoI प्रपत्र (संलग्नक—क)

उपरोक्त लिफाफा (अ) एवं (ब) को बड़े लिफाफे में रखकर पहले आओ पहले पाओ नीति पर निर्धारित प्ररूप में आवेदन दिनांक— 26 मई 2025 अपराह्न 3.00 बजे तक जमा कर सकते हैं।

9. सफल संस्था का प्रशासनिक अनुमोदन होने के पश्चात् संस्था एवं म.गौ.चि.ग्रा.वि.वि., चित्रकूट, सतना (म.प्र.) के मध्य अनुबंध किया जायेगा, जो कि एक वर्ष के लिए वैध होगा।
10. अनुबंध पश्चात् प्रशिक्षण कार्यक्रम एक माह के अन्दर प्रारंभ किया जायेगा।

Expression of Interest (EoI)

For establishing Training Centre of DCA & CPCT Programme
of MGCGV Chitrakoot, Satna (MP) 485334

SN	Particular's	Detail's	Encl. Page Number
1.	Name of the Organization/Agency/ Department with full address, email, website		
	Name & Mobile number of Authorized person (Nodal Officer)		
2.	Application form receipt No. & date (bank draft or receipt no. & date. (Pl. Attached original receipt, in case of cash deposit)		
3.	Legal status of the Organization (Registration no., area, motive of Organization)		
4.	Rules & Regulations of organization		
5.	Progress report of organization		
6.	Last 3 year Audit report		
7.	Location of proposed centre (Pl. give full address of proposed centre with phone number, pin code & e-mail)		
8.	Details of Infrastructure (with photographs)- building, furniture, lab, computers and others (if any)		
9.	Experience to execute same kind of training programme.		
10.	Staff position in proposed centre (Name, address & qualification etc. in format-A) <i>[Enclose bio-data of each resource person]</i>		
11.	Lab and computer details (For Computer Programme with photographs)		
12.	Since how long your institution /organization has been working?		
13.	Any specific feature you wish to mention about your Institution?		

Note: Please attach a copy of item No. 1 to 13 as above in support of the information furnished by you with page number.

Declaration

I hereby declare that all the information furnished by us is true in my knowledge. In case of incorrect information found, the University will have the right to cancel the registration at any time. I will follow the rules and instructions of the University.

Signature of Authorized Signatory
(with date and stamp)